

“महिला सक्षमीकरण—बचत समूह की भूमिका”

डॉ. सौ. संगमित्रा दि. कोलारकर

गृह अर्थशास्त्र विभागप्रमुख,
सेवादल महिला महाविद्यालय, नागपूर

प्रस्तावना :-

भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ गाँवों में महिलाएं घर के काम काज करने के साथ-साथ खेती करना, पशुपालन, लकड़ियाँ इकठ्ठा करना इत्यादी कार्य करती हैं, जिसका घर में कोई मोल नहीं है। महिलाएँ जीवनभर बेटी, पत्नी, माता जैसी अनेक भूमिकाएँ निभाकर रातदिन परिश्रम करती हैं परंतु महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिलता। समाज और राष्ट्र की प्रगति के लिए महिला शक्ति आवश्यक है क्योंकि महिला परिवार एवं समाज की नींव है, इन्हें सशक्त एवं सम्मानजनक होना आवश्यक है। मानव सृजनशील है। सृजनकर्ता के हाथों के हुनर से नई कृतियाँ जन्म लेती हैं। कला में ऐसी शक्ति है कि वह लोगों को संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठाकर उसे ऐसे उँचे स्थान पर पहुँचा देता है, जहाँ मनुष्य केवल मनुष्य रह जाता है। कला व्यक्ति के मन में बनी स्वार्थ, परिवार, क्षेत्र, धर्म, भाषा और जाति आदि की सीमाएँ मिटाकर विस्तृत और व्यापकता प्रदान करती है तथा व्यक्ति के मन को उदात्त बनाकर उसे 'स्व' निकालकर 'वसुदेव कुटुम्बकम्' से जोड़ती है। प्रत्येक मनुष्य स्वयं में एक कलाकार है, थोड़े से प्रयास, लगन और रुचि से अपने हुनर द्वारा अर्थार्जन करने में सक्षम है।

परिभाषा :-

“महिलाओं में स्वयं की क्षमता को पहचान कर क्षमताओं का विकास करना पारिवारिक और सामाजिक निर्णय की प्रक्रिया में सहभागी होने का प्रयास करना याने सशक्तीकरण है।”

आधुनिक काल में सशक्तीकरण यह महिलाओं की स्थिति सुधारना महत्वपूर्ण विषय रहा है। सन 1990 में महिलाओं के अधिकार और नियमों के संरक्षण के लिए महिला राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय धोरण 2001 में महिलाओं का सहभाग, संरक्षण, आर्थिक उन्नती, क्षमताओं का संवर्धन और इन सब के लिए अनुकूल वातावरण निर्मिती आदि धोरण के विशेषता है। सन 2002 और 2003 इस आर्थिक वर्ष से महिलाओं को केन्द्रभूत मानकर नियोजन किया गया जा रहा है। इसका महिला धोरण में समावेश है।

आर्थिक स्वावलंबन एक परिवर्तन का मार्ग है। यह मार्ग महिला सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण पैलू है। इसलिए महिलाओं को सशक्त करना और उनके विकास के लिए महिला बचत गट की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के बदलते परिवेश में स्वावलंबन, जन सहयोग की भावना से ओत-प्रोत गठित किए गये। बचत समूहों का तेजी से विकास हो रहा है।

परिभाषा :-

“परावलंबन से स्वावलंबन की ओर जाने के लिए स्वेच्छा, सहमती, सामूहिक बचत के कारण चुना गया मार्ग याने बचत समूह है।”

बचत समूह के द्वारा गरीब महिलाओं के छोटे-छोटे समूह उद्यमी बन सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में अनेक स्वयंसेवी संगठनों ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिए उनको संगठित करने का प्रयास किया उन्हें आपसी मदद से अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहायता दी है। अतः लघुबचत महिलाओं के विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

बचत समूह का स्वरूप :-

शहर और ग्रामीण भागों में महिलाओं के सक्रिय सहभाग से गाँव शहरो में बचत समूहों की स्थापना में वृद्धि हो रही है। महिलाओं में विद्यमान सुप्त कलागुणों विशेषताओं के आधार पर उनमें योग्य कौशलपूर्ण क्षमताओं का विकास करके स्वावलंबी बनाने का एक नया मार्ग 'बचत समूह' है। इसमें महिलाएँ अपना पेट काटकर बचत करके आर्थिक दृष्टि से सशक्त और समर्थ हो रही हैं। विशेषतः ग्रामीण स्तर की दरिद्रता निर्मुलन के लिए स्वयं सहायता समूह यह विकास का साधन बन रहा है।

बचत समूह की कार्यप्रणाली :-

बचत समूह अपने सदस्यों को नियमित रूप से छोटी बचत करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बचत की राशी में से सदस्यों को नियमित रूप से छोटे-छोटे कम ब्याज पर ऋण प्रदान किये जाते हैं। शेष राशी को बैंक में बचतसमूह

के नाम से खाता खोलकर जमा किया जाता है। इस प्रकार लगभग छह माह तक नियमित बचत समूह में आपस में आंतरिक लेनदेन करने के पश्चात बैंक इन्हे इनकी पात्रता अनुसार ऋण प्रदान करते हैं।

संशोधन के उद्देश्य :-

1. महिला बचत समूह का स्वरूप और उन्नती का अध्ययन करना।
2. महिलाओं की आर्थिक उन्नती में परिवर्तन का अध्ययन करना।
3. महिलाओं में सामाजिक और आर्थिक स्वावलंबन की जागरूकता का अध्ययन करना।

गृहितकृत्य :-

1. बचत समूह के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक स्वावलंब हो रहा है।
2. महिला बचत समूह के माध्यम से हर क्षेत्र में सशक्त हो रही है।

संशोधन पध्दती :-

प्रस्तुत अध्ययन में प्रत्यक्ष मुलाखत चर्चा और निरीक्षण पध्दती का अवलंब किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र और नमूना :-

प्रस्तुत अध्ययन नागपूर शहर के रामेश्वरी क्षेत्र के 2 बचत समूह का यादृच्छिक नमूना निवड पध्दती से चुनाव किया गया है। इस बचत समूह में कुल 20 महिलाएँ हैं।

तथ्य संकलन :-

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त जानकारी मौखिक स्वरूप से संबंधित है, जिसके द्वारा तथ्य संकलित किये गये।

निष्कर्ष :-

1. बचत समूह की महिलाओं से चर्चा के दौरान ज्ञात हुआ की महिलाएँ जरूरतों को पूरा करने के लिए पति या घर के कमाऊ सदस्य पर निर्भर नहीं रहती हैं। वे आत्मनिर्भर हो रही हैं। समूह ऋण प्राप्त करके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ती करते हैं, जिससे परिवार में इन्हें एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो रहा है।
2. महिलाओं के सशक्तीकरण में बचत समूह की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई दी। आज महिलाएँ हर क्षेत्र में बचत समूह के माध्यम से इस प्रकार सशक्त हुयी हैं :-

i) बचत समूह के माध्यम से आज महिलाएँ घर की चार दिवारी से निकलकर सामाजिक कार्यक्रमों और मंचों पर भाग ले रही हैं। तथा समूह एवं पारिवारिक निर्णयों में इनकी भागीदारी बढ़ने के कारण उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है।

ii) बचत समूह के माध्यम से महिला संघटित होकर सभी समस्याओं का निवारण करने में सक्षम हो रही हैं। परिवार के सदस्यों के साथ तथा समूह में साथ मिल बैठकर सुख-दुःख की चर्चा करने से सामाजिक एकता का विकास हो रहा है।

iii) बचत समूह के माध्यम से महिलाओं में बचत करने का महत्व बढ़ रहा है। काटकसर करके बचत किए हुये पैसे बैंक में समय पर भरने की प्रवृत्ती बढ़ रही है। साथ ही साथ बैंक के व्यवहार सलीके से करने में सक्षम हो रही हैं।

iv) बचत समूह के माध्यम से महिलाओं में विद्यमान सुप्त कलागुणों विशेषताओं के आधारपर उनमें योग्य कौशल्यपूर्ण क्षमताओं का विकास करने की संधी उपलब्ध होने से उनके कौशलों में वृद्धि हो रही है।

v) बचत समूह के माध्यम से महिलाओं की उद्योजकीय प्रवृत्ती में वृद्धि होकर उद्योजक महिलाओं की संख्या दिनोंदिन वृद्धिगंत हो रही है।

उपरोक्त निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं के सृजनशील हाथ अर्थोपार्जन कर रहे हैं। 'बचत समूह' के स्थापन से महिलाएँ सिर्फ बचत करके आर्थिक आवश्यकताओं को ही पूरा नहीं कर रही बल्कि इस माध्यम से पूंजी लेकर स्वयंरोजगार करके महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं सामाजिक जागरूकता के कारण आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। परिणामतः समाज में सुधार हो रहा है। जो अपने आप में एक मिसाल है। आज जरूरत है महिलाओं में विद्यमान कला गुणों को विकसित करने की तथा बचत समूह को अधिक ढंग से पोषित करने की ताकि ये नये समाज का निर्माण कर सके।

सुझाव :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को प्रेरित एवं विकसित करने के उद्देश्य से 'महिला समाज' या 'महिला संगठनों' की स्थापना की जानी चाहिए। जो महिलाओं को प्रशिक्षित कर नये नये व्यावसायिक अवसर उपलब्ध करा सके।
2. 'बचत समूह' की महिलाओं को प्रशिक्षण देकर

स्वयंरोजगार करने को प्रवृत्त करना चाहिए।

3. प्रशिक्षित 'बचत समूह' की महिलाओं को रोजगार दिलाए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. ओमप्रकाश – स्वयं यहायता समूहों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस, रिगल पब्लिकेशन, दिल्ली, 2010.

2. कमलेश कुमार गुप्ता – महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव जयपूर, प्रथम संस्करण, 2005.
3. चित्तरंजन ओझा – नारी शिक्षा एवं सशक्तीकरण, रिगल पब्लिकेशन, 2010
4. एस.बी.पवार – बचत गटांसाठी स्वयंरोजगाराचे 51 महामार्ग प्रकाशक शुभम बहुउद्देशीय मार्गदर्शन संस्था, पुणे, 2009.